में इंफाल, लोकटेक झील, मौरंग, आई० एन०ए० मेमोरियल, कैथूल हिरण विहार और वैथ झील, पोर्ट ब्लेयर का नगर पालिका क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हेव लौक, जूली बान, दक्षिण और उत्तरी चिक, रैड स्किन और नील द्वीप समूह नामक पर्यटक महत्व के इन क्षेत्रों में परमिट से विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति है। लक्ष्यद्वीप की यात्रा के इच्छुक विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति है। लक्ष्य द्वीप की यात्रा के इच्छुक विदेशी पर्यटकों को भी स्थानीय विनियमों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी होती है।

(ख) विभिन्न पहलुओं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीकी कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति, राज्य की संवेदनशीलता और विघटनकारी तत्वों की उपस्थिति इत्यादि के कारण इस प्रकार के प्रतिबंध लगाये जाते हैं।

(ग) और (घ) जब कभी कोई विदेशी आवश्यक परमिट के बिना इन क्षेत्रों में प्रवेश करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार जिन्हें इस प्रकार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, द्वारा उसके खिलाफ विदेश अधिनियम 1946 के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

श्री राजीव गांधी के हत्यारों के विषय में सूचना देने वालों के लिए इनाम

1397. श्री शंकर दयाल सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राजीव गांधी के हत्यारों तथा उनके सहयोगियों के बारे में सुराग देने वालों को 10 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किन्हीं सूत्रों से कोई सूचना प्राप्त हुई है और क्या इनाम की राशि किसी व्यक्ति को दी गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सी०बी०आई० विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है। तथापि, 10 लाख रुपये का इनाम अब तक किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है।

दिल्ली में टैक्सियां तथा तीन पहियों वाले स्कूटर

1398. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चलने वाली टैक्सियों तथा तीन पहियों वाले स्कूटरों की संख्या कितनी है ;

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान इन टैक्सी तथा तिपहिये स्कूटर चालकों द्वारा यात्रियों को तंग करने अथवा उनसे अधिक पैसा वसूलने की कितनी घटनायें हुई हैं ; और

(ग) यात्रियों की परेशानी को दूर करने के लिये इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इस समय दिल्ली में लगभग 7,500 टैक्सी और 63,000 तिपहिया स्कूटर चल रहे हैं।

(ख) 1-4-91 से 30-6-91 तक की अवधि के दौरान दुर्व्यवहार, यात्रियों को ले जाने से मना करने और अधिक किराया वसूल किये जाने के अपराध के लिये दिल्ली पुलिस ने 53 टैक्सी ड्राइवरों और 1,355 दी सी०आर० ड्राइवरों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्रवाई की। इसके अलावा, यातायात पुलिस मुख्यालय/राज्य परिवहन प्राधिकरण में 921 शिकायतें प्राप्त हुई/दर्ज की गई।

(ग) दिल्ली प्रशासन के प्रवर्तन (एन्फोर्समेंट) प्राधिकारी, दोषियों के विरुद्ध परमिट विलंबित करने और

इस्तगासे की कार्रवाई करते हैं। जनता की शिकायतों के लिये एक यातायात नियंत्रण कक्ष 24 घंटे लगातार काम करता है और इस कक्ष का टेलीफोन नं० है – 3319334 । दिल्ली में एक प्री-पेड शिकायत कोड प्रणाली शुरू की गई है । जनता के लिये उक्त कार्ड सभी यातायात पुलिस बूथों पर उपलब्ध हैं और शिकायतकर्ता इसे भर कर यातायात पुलिस मुख्यालय को निःशुल्क डाक द्वारा भेज सकता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने टैक्सी और तिपहिया स्कूटर चालकों द्वारा परेशान किये जाने के विरुद्ध यात्रियों की सुविधा के लिये दिल्ली हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों से भी प्री-पेड टैक्सी सेवा शुरू की है।

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान से शिक्षित उग्रवादियों/गुप्तचरों की गिरफ्तारी

1399. श्री शंकर दयाल सिंह :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान में प्रशिक्षित कितने उग्रवादी तथा गुप्तचर गिरफ्तार किये गये और कितने मुठभेड़ों में मारे गये ;

(ख) भारतीय सुरक्षा बलों के कितने सैनिक इन मुठभेड़ों में शहीद हुये ; और

(ग) क्या दिवंगत सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1-1-1991 से 30-6-1991 तक की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर सीमा क्षेत्र में 200 आतंकवादी गिरफ्तार किये गये और 133 आतंकवादी मुठभेड़ों में मारे गये ।

(ख) 1-1-1991 से 30-6-1991 तक की अवधि के दौरान मुठभेड़ों और आतंकवादी हमलों में, सैनिकों सहित 94 सुरक्षा बलों के कर्मिकों की जानें गई ।

(ग) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में मारे गये सुरक्षा बल कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदारों/आश्रितों को 1.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिये जम्मू और कश्मीर सरकार ने 10-7-90 को आदेश जारी किये । जलाई, 1989 से इस प्रकार के 175 मामलों में स्वीकृति जारी की गई है।

इसके अलावा जो सुरक्षा बल कार्मिक ड्यूटी के दौरान मरते हैं, उनके परिवार, संबंधित सुरक्षा बलों के सेवा शर्तों के अनसार फैमली पेंशन, ग्रुप इंशोरेंस और अन्य लाभों के हकदार हैं ।

Statement of U.S. Ambassador to Pakistan on Kashmir

1400. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have protested against a statement of U.S. Ambassador to Pakistan which appeared in a section of the press on 22nd March, 1991 that "U. S. says Kashmir is a disputed area";

(b) if so, what is the U. S. Government's reply to protest; and

(c) what action Indian ambassador to U. S. A. has taken regarding above